

Regarding inclusion of tribal languages in the Eighth Schedule.

श्री सालखन मुर्मू (मयूरभंज) : उपाध्यक्ष महोदय, बड़े दुर्भाग्य की बात है आज तक भारती में जितनी आदिवासी भाषाएँ हैं, उनमें से एक भी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। यह संविधान में मौलिक रूप में अनुच्छेद 29 में रखी गई हैं। किन्तु दूसरी ओर जब हमारे लोग शांतिपूर्ण ढंग से इस मांग के लिए जुलूस या प्रदर्शन करते हैं तो कहीं उन पर लाठी चार्ज होता है या कहीं पर बर्बरतापूर्ण व्यवहार होता है। अभी आठ अप्रैल को बिहार के पश्चिमी सिंहभूम जिले के राजनगर पुलिस थाना क्षेत्र में ऐसा हुआ था। इसकी सूचना हमने एस.पी. और डी.सी. को दी, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि जो मौलिक अधिकार की बात है और जो हमारी मांग है उसको मानना चाहिए। इसके एवज में हमारे नेता बिशु मुर्मू, जो प्रदेश स्भापति, स्थानी भाषा मोर्चा, को गिरफ्तार किया गया है। उनके साथ बद्सलूकी का व्यवहार किया जा रहा है। अगर ऐसा व्यवहार आदिवासियों के साथ होता रहा तो यह संविधान की भी तौहीन है।